

28-01-2025

वकील सुनिवासी केरमा वकील वकील  
 केरमा 01 उपस्थित है। (असुवि-  
 से संबंधित मुचफिली धारणा-पत्र-  
 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल  
 राजस्थान अकमेर द्वारा खारी ज  
 कट निस्कारित कट किया गया है  
 जिसकी पुष्टि माननीय राजस्व  
 मण्डल राजस्थान अकमेर से  
 आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध  
 रेकॉर्ड में डेशबोर्ड पर उपलब्ध  
 डेविलोपमेंट की कोपी देखाकर कट  
 हो गई है। जिसकी पुष्टि हो गई है।  
 वकील सुनिवासी के. 01 ने अंतरिम  
 अर्थात् निवेदन के माध्यम  
 से अर्जेंट बटस होने जाने का

सिद्ध

उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (स्वैस्थल-सिद्ध)

निदेशिकादि उनडे पसकार  
 असावी सं. 1 द्वारा रिजीजरीड  
 डे वेरि ~~सुपर~~ 326, 485,  
 629 का 1/8 भाग वाडे गम  
 सुरगस अडीर जेरे रिजीज  
 डीड फिने 25-05-2024  
 वादी स्वपालके हापुवर कीही  
 उम्त रिजीज डीड उपपंजिपक  
 मुळावर दे पंजिपक ही अतः 79  
 असावी पत्र पर कडक पुनड  
 उलडा विचारण डिपा लावे।

हमने ~~इ~~ उभय पसकारान

के कडीलकी स्वस वावर  
 हापुवर 212 रिजी सुनी।  
 वरीत सुनिवपी कं. 0। असावी  
 खरेवा 0। ने अचन डिपा डि  
 वादी द्वारा उनडे वलंडीट डो  
 परेशान असे की नीपत के  
 अंतरिम असावी निचे धारा  
 पाठीब त्मई ही उनडे वलंडीट  
 डे पस ने रिजीज डीड अरबने  
 उपरान्त उलडो पसकार बनाना  
 उलडी नीपत ने खरे डो  
 अरिचि असावे।

हमने उभय पसकारान

की बहस पर मतन डिपा ।

सत्पाल बनाम विष्णु  
दर २१२ RTA

वकील द्वारा मे मध्याह्न सं. ०१ के  
 क्वॉरन के विरोध में कोर्ट के निर्णय  
 पूर्ण तर्क सहित नहीं दिया है।  
 अतः मह. भापालय वकील  
 के धारणा पर २१२ RTA को  
 रजिस्ट्रीज किये जाने योग्य पाया है।  
 धारणा पर वकील अलग र बाय  
 २१२ RTA व आदेश ३९ निपम ०१ व ०२  
 कपठित धारा १५१ जाणकी रजिस्ट्रीज  
 किया जाता है। इस भापालय धारा  
 जारी अं तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा  
 दिनांक १९-०६-२०२५ निरस्त  
 की जाती है। पत्रावली फेब्रुअरी २०२५  
 के अंतर्गत एक से कम खे. बां  
 वकील को अलग नूतन रहने।  
 आदेश आज दिनांक २८-०१-२०२५  
 को मेरे द्वारा लिखा गया जाकर सुले  
 भापालय में सुनाया गया।

सि

उपसंग्रह अधिकारी  
मुण्डावर (सैरथल-मैजरा)